



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250462
CG-DL-E-07122023-250462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945

No. 816]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (744).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

1. HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (399) दिनांक 09 सितम्बर 2022 (प्रकाशित दिनांक 20 सितम्बर, 2022)

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — '4 जून 2023' को '4 जून 2024' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./598/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd November, 2023

Ref:HQ-PUB-BIS(744).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (399) dated 9 September 2022 (Published on 20 September 2022)

SI No. 03, column (5) of schedule — Substitute '4 June 2024' for '4 June 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./598/2023-24]